BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 09 वर्ष का कारावास व 5,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विकास पुत्र इन्दर सिंह निवासी किसोली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.03.2018 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 221/18 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 01.06.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.01.2025 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विकास को 09 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।